सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F.No Review/10/SBI/2024-SSW

Dated: - 22.10.2024

To,

The Chairman
State Bank of India
State Bank Bhawan
Madam Cama Road
Mumbai-400001(Maharashtra)
(Email:- chairman@sbi.co.in , Phone:- 022-22022799)

Sub: Review of Constitutional Safeguards for Scheduled Tribes of SBI, Mumbai (Maharashtra).

महोदय,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of the review meeting held under the Chairmanship of Shri Antar Singh Arya, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 18.09.2024 at Mumbai (Maharashtra) on the above mentioned subject.

It is requested that the action taken/ to be taken in the matter may be submit to NCST within 30 days from receipt of the letter, for taking appropriate action.

Yours faithfully,

(एच.आर. मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Tel:-011-24641640

Copy to:-

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Member (Shri N.C)
3. PS to Hon'ble Member (Dr. A.L)
4. PS to Hon'ble Member (Shri J.H), NCST
5. NIC, NCST for uploading on the website of the commission.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क(5)(ई) के अंतर्गत, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन, संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा और निगरानी हेतु रिपोर्ट और सिफारिशें।

File No.: Review/10/SBI /2024-SSW

समीक्षा की तिथि एवं स्थान : 18.09.2024, मुंबई (महाराष्ट्र)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) एक संवैधानिक निकाय है, जो देश में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के तहत स्थापित किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आयोग से परामर्श करेगी। आयोग, भारत के माननीय राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज/कार्यान्वयन पर आयोग की ऐसी सभी रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाती हैं, साथ ही संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई और जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी शामिल होता है।

2. उपरोक्त संवैधानिक आदेश के अनुसरण में, श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, श्री निरूपम चाकमा एंव श्री जाटोतु हुसैन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा श्रीमती अलका तिवारी, सचिव, भारत सरकार, एनसीएसटी और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 18.09.2024 को मुंबई में समीक्षा बैठक की, जिसका उद्देश्य भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना और देश के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाओं/कार्यक्रमों तथा निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था।

3. दिनांक 18.09.2024 को 12:00 बजे की बैठक में शामिल नेशनल फ़ैडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एससी/ एसटी एम्प्लॉईस के पदाधिकारियों की सूची तथा दिनांक 18.09.2024 को सायं 6 बजे समीक्षा बैठक में शामिल भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष एंव अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सूची, अनुलग्नक में है।

22-10-2024

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. दिनांक 18.09.2024 को समीक्षा बैठक से पहले, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा सचिव, भारत सरकार, एनसीएसटी और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नेशनल फ़ैडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एससी/ एसटी एम्प्लॉईस के पदाधिकारियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और कठिनाइयों तथा देश के अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओ एंव कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया। नेशनल फ़ैडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एससी/ एसटी एम्प्लॉईस के पदाधिकारियों और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित संपर्क अधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया:

1. भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति की निदेशक के रूप में नियुक्ति करना।
2. भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों (SBI Life Insurance Company Ltd; SBI Funds Management Ltd; SBI General Insurance Company Ltd; SBI Cards and Payment Services Ltd; SBI Capital Market Ltd and SBI CAP Security Ltd) में नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना ।
3. भारतीय स्टेट बैंक में डीजीएम से उच्च पदों में अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ।
4. भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में डॉ बी. आर. अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करना ।
5. नेशनल फ़ैडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एससी/ एसटी एम्प्लॉईस के पदाधिकारियों , प्रबंधन द्वारा अन्य यूनियनों के साथ Negotiation and Agreement में शामिल करना।
6. भारतीय स्टेट बैंक के सभी पदों के लिए Reservation रोस्टर को अद्यतन करना ।
7. भारतीय स्टेट बैंक के स्थायी कर्मचारियों की संख्या यथावत रखना तथा आउटसोर्सिंग (outsourcing) के द्वारा की जा रही नियुक्तियों को बंद करना ।
8. संदेश वाहक ग्रेड से क्लर्क ग्रेड में पदोन्नति में आरक्षण का विस्तार करना ।
9. भारतीय स्टेट बैंक के अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु, कम दर पर ऋण वितरण हेतु विशेष योजना की पहल करना ।

5. उपरोक्त बैठक के बाद, दिनांक 18.09.2024 समय 6:00 बजे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा सचिव, भारत सरकार, एनसीएसटी और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व, उप निदेशक, NCST ने माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यों, सचिव, भारत सरकार, NCST एवं NCST के अन्य अधिकारियों का परिचय कराया तथा बैंक के अधिकारियों से स्वयं का परिचय देने का आग्रह किया ।

22-10-24

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

परिचय देने के बाद, बैंक के अधिकारियों ने आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। इसके बाद श्री निरूपम चाकमा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आयोग के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में संक्षेप में अवगत कराया। अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक ने बैंक की पृष्ठभूमि, क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओ तथा अनुसूचित जनजातियों तथा बैंक में कार्यरत अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के सेवा एवं अन्य मामलों से संबन्धित विषयों पर अवगत कराया। इसके बाद मुख्य महा प्रबन्धक (मानव संसाधन, एचआर) द्वारा बैंक की कार्यविधि प्रणाली एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में Power-point Presentation प्रस्तुत किया। Power-Point Presentation में बैंक की पृष्ठभूमि, बैंक में अनुसूचित जनजातियों तथा कुल कर्मचारियों का विवरण तथा निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत की जा रही विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया।

समीक्षा के समय, आयोग के माननीय सदस्य, श्री निरूपम चाकमा ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परिपत्र संख्या RBI /2024-25/19.FIDD.CO.GSSD. BC No 04/09.09 .001/2024-25 dated 16.04.2024 की ओर बैंक अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुये पूछा कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा परिपत्र के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। आयोग के माननीय सदस्य, श्री जाटोतु हुसैन ने भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को निदेशक के पद पर नियुक्त करने हेतु सुझाव दिया।

6. आयोग द्वारा भेजी गयी प्रश्नावली के प्रतिउत्तर में, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि बैंक में दिनांक 31.03.2024 तक कुल कर्मचारी 232975 थे। अधिकारी वर्ग में कुल कर्मचारी 110404 , जिनमें से 9617 एसटी श्रेणी के, जो 8.71% है। लिपिक वर्ग के कुल कर्मचारी 92706, जिनमें से 7624 एसटी श्रेणी के, जो 8.22% तथा अधीनस्थ वर्ग के कुल कर्मचारी 29875 जिनमें से 2124 एसटी श्रेणी से, जो 8.71% थे। वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक विभिन्न पदो में short fall बताया गया। इसके साथ यह भी बताया कि अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक, रिक्तियों को अगले वर्ष की भर्ती प्रक्रिया के समय ध्यान में रखता है।

7. आयोग का अवलोकन: आयोग ने पाया कि भारतीय स्टेट बैंक में लिपिक तथा अधीनस्थ वर्ग में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत, निर्धारित प्रतिशत से कम है। अनुसूचित जनजातियों के लिए short fall नियुक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए। बैंक में नामित, संपर्क अधिकारियों को अनुसूचित जनजातियों से संम्बंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परिपत्र संख्या RBI /2024-25/19.FIDD.CO.GSSD. BC No 04/09.09

22-10-2024

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

short fall नियुक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए । बैंक में नामित, संपर्क अधिकारियों को अनुसूचित जनजातियों से संम्बंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परिपत्र संख्या RBI /2024-25/19.FIDD.CO.GSSD. BC No 04/09.09 .001/2024-25 dated 16.04.2024 में दिये गए दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन की भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी ।

8. आयोग की अनुशंसाएँ: आयोग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन के साथ बैठक में की गयी चर्चा के पश्चात, निम्नवत बिन्दुओं पर कार्यवाई करने की अनुशंसा की:

1. पैराग्राफ 4 में उठाए गए प्रकरणों पर की गयी / की जाने वाली कार्रवाई की सूचना प्रेषित करें।
2. बैंक द्वारा विभिन्न पदों के लिए बनाए गए रोस्टर को online किया जाए, जिससे अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी लाभान्वित हो सकें ।
3. भारतीय स्टेट बैंक में दिनांक 31.03.2024 तथा 31.08.2024 तक, ग्रेड वार कुल कर्मचारी तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या से अवगत कराये ।
4. बैंक द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सुविधा outsourced / contract पदों में भी प्रदान करायाजाए ।
5. संपर्क अधिकारी (Liaison Officer) को समय-समय पर आरक्षण नीति के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाए, जिससे वह आरक्षण नीतियों के बारे में अद्यतन रह सकें तथा अनुसूचित जनजातियों से संम्बंधित अन्य नीतियों की भी जानकारी से अवगत रहे ।
6. बैंक की विभिन्न शाखाओं में ग्रुप डी कर्मचारी जो नियमित हो उनको पदस्थ किया जाए, जिससे RBI द्वारा लगाए जाने वाले आर्थिक दंड से संम्बंधित अधिकारी बच सके ।
7. डीजीएम पद से पदोन्नति के लिए निर्धारित मानदंड की प्रति उपलब्ध कराये ।
8. बैंक की सभी महत्त्वपूर्ण समितियों (committees) में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
9. बैंक द्वारा कुल एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी, जिनका पिछले 3 वर्षों में स्थानांतरण किया गया है, का विवरण प्रदान करें तथा स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) की प्रति उपलब्ध करायें ।
10. बैंक द्वारा, भारतीय संविधान की पाँचवी तथा छठी अनुसूची के अंतर्गत घोषित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के ऋण जारी करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है , की सूचना प्रदान करें।
11. उन बैठको का विवरण प्रदान करें जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को दिये गए ऋण की समीक्षा की गई है।

22-10-2024

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

12. बैंक की विभिन्न शाखाओं के द्वारा पिछले 3 वर्ष में अनुसूचित जनजातियों के ऋण हेतु दिये गए अभ्यावेदन निरस्त किए गए हैं, की सूचना प्रस्तुत करें।
13. निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत प्रारम्भ की जाने वाली योजना एवं कार्यक्रम को, उचित तंत्र से संचालित करने की आवश्यकता है।
14. बैंक द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराई जाये।
15. दिनांक 19.02.2024 तथा 24.06.2024 को प्रबंधन तथा एससी/एसटी कर्मचारियों के राष्ट्रीय फ़ैडरेशन के साथ हुई बैठक का कार्यवृत की प्रति उपलब्ध करायें।
16. भारतीय स्टेट बैंक की पिछली वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अनुसूचित जनजातियों/ अनुसूचित जातियों का विवरण हो, संबंधित अध्याय की प्रति उपलब्ध करायें।
17. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत चलायी जाने वाली योजनाओं में, अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों की सूची का भी प्रावधान रखें।
18. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत, प्राथमिकता के आधार पर वर्तमान वित्त वर्ष या अगले वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य में लड़कियों के छात्रावास बनाने हेतु समुचित राशि उपलब्ध कराने पर विचार करें।
19. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परिपत्र संख्या RBI /2024-25/19.FIDD.CO.GSSD. BC No 04/09.09 .001/2024-25 dated 16.04.2024 के संबंध में की गई / की जाने वाली कार्रवाई की सूचना भी प्रस्तुत करे।
20. नेशनल फ़ैडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एससी/एसटी एम्प्लाईज़ के पधाधिकारियों के साथ हुई बैठक, जिसमें उठाए गए विषयों का विवरण पारा 4 में है, पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई कि जाए। कृत कार्रवाही की जानकारी आयोग को भी भेजा जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

22-10-2024

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi